कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विमल वर्मा प्रॉपराइटर डिजीमैन एंटरप्राइजेज और दिलीप वर्मा प्रॉपराइटर डिजीमैन क्राफ्ट्स इंडिया** को **11.02.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDMT00458627** की राशि **रू.11,38,727.42 /- (रुपए ग्यारह लाख अडतीस हजार सात सौ सत्ताईस और बयालीस पैसे मात्र)** और **08.02.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **18.01.2024** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.11,38,727.42 /- (रुपए ग्यारह लाख अडतीस हजार सात सौ सत्ताईस और बयालीस पैसे मात्र) 08.02.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय फ्लैट नं.जी.एफ.-2, एल.आई.जी., तल मंजिल, रूफ राइट्स के बिना, सामने दाहिने हाथ की ओर, जिसका कुल कवर्ड एरिया 400 स्के.फीट यानि 37.16 स्के.मी. के बराबर, प्लॉट नं.ए-7/10 पर बना, डीएलएफ अंकुर विहार में, गाँव लोनी में स्थित, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद -201102, उत्तर प्रदेश और प्लॉट नं.ए-7/10 मापित कुल एरिया 209 स्के.मी.जिस पर फ्लैट बनाया गया है जिसकी सीमा निम्नुसार परिबद्ध है:

पूर्व:पार्क **पश्चिम: रोड 9 मीटर चौड़ा**
उत्तर : रोड 12 मीटर चौड़ा **दक्षिण: प्लॉट नं.ए-7/9**

और फ्लैट जिसकी सीमा निम्नुसार परिबद्ध है:

पूर्व:कॉमन पैसेज **पश्चिम: रोड 9 मीटर चौड़ा**
उत्तर : फ्लैट नं.जी.एफ.-1, (एल.आई.जी.) **दक्षिण: प्लॉट नं.ए-7/9**

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

दिनांक :18.01.2024
स्थान : गाज़ियाबाद

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-15(1)(ए)]/16(3) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित की गई है)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के अंतर्गत सम्मन।

केस नं. ओए/1615/2023 **ईएक्सएच. नं.: 21484**

एचडीएफसी बैंक बनाम अक्षय कुमार सामल

प्रति, (1) श्री अक्षय कुमार सामल पिता श्री बीरा किशोर सामल, श्री अक्षय कुमार सामल पिता श्री बीरा किशोर सामल, आवास मकान नं. 2119, सेक्टर-4, हूडा, जिम खाना क्लब रोड, जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा। द्वितीय पता: ग्राम उमर, डाकघर झदेश्वरपुर, जिला कटक ओड़िशा। गुड़गॉव, हरियाणा **और एक पता:** ग्राम उमर, डाकघर झदेश्वरपुर, जिला कटक कटक ओड़िशा।
(2) सुश्री रश्मि रेखा सामल पिता जेना ब्रसरी शोतरे मकान नं. 2119 4 हूडा जिम खाना क्लब रोड जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के निकट, गुड़ग्राम, हरियाणा। **और एक पता:** ग्राम उमर, डाकघर झदेश्वरपुर, जिला कटक ओड़िशा।

सम्मन

चूंकि, **ओए/1615/2023** माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के समक्ष दिनांक 26/12/2023 को सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण बकाया ऋण की रकम **रु. 2014677.67/-** की वसूली के लिए आपके खिलाफ अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन दायर (ओए) उक्त आवेदन पर सम्मन/सूचना जारी करते हुए हर्षित है (आवेदन के साथ दस्तावेज इत्यादि की प्रतिलिपि संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुपालन के तहत आप, प्रतिवादियों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:- (i) सम्मन सेवित किए जाने के तीस दिनों के अंदर यह कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। (ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अलावा सम्पत्तियों तथा आस्तियों का विवरण प्रकट करें। (iii) आप पर मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रकट की गई प्रत्यापूत सम्पत्तियों अथवा इस तरह की अन्य सम्पत्तियों तथा आस्तियों के साथ सौदा अथवा उसका निपटान करने पर रोक लगा दी गई है, जिसकी सम्पत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन पर सुनवाई तथा निपटान लंबित है। (iv) आप अपने व्यवसाय की साधारण कार्यप्रणाली को छोड़कर न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी भी सम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित सृजित की गई है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अधीन निर्दिष्ट अथवा प्रकट अन्य सम्पत्तियों तथा आस्तियों को बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रारूप के जरिए हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। (v) प्रत्यापूत सम्पत्तियों अथवा अन्य सम्पत्तियों तथा व्यवसाय की साधारण कार्य प्रणाली में सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का हिसाब रखने तथा संबंधित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते में संबंधित बिक्री रकम जमा करने की जिम्मेदारी आप पर होगी। आपको आवेदक के पास प्रस्तुत लिखित बयान के साथ उसकी प्रतिलिपि भी दायर करने तथा **पंजीयक** के समक्ष **दिनांक 06/02/2024 की सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा। **मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा दिनांक: 28/12/2023 को जारी।**

सम्मन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि एक राजनीतिक दल **देसिया जननयागा काची** के नाम से पंजीकरण करना चाहता है। दल का पंजीकृत कार्यालय **डी. नं. 4/133ई, अन्नानगर, रेड्डीपट्टी डाकघर, नामक्कल जिला-637002, तमिलनाडु** में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अधीन राजनीतिक दल के रूप में पंजीयन हेतु भारतीय निवार्चन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दाखिल किया है। दल के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे उल्लेखित हैं:

अध्यक्ष: सुबा कार्तिकेयन, डी. नं. 4/133ई, अन्नानगर, रेड्डीपट्टी डाकघर, नामक्कल जिला-637002,

महासचिव: एस. ललिथा, डी. नं. 6/39, पुडनचंथई, मित्रामपल्ली डाकघर, नामक्कल जिला-637019.

कोषाध्यक्ष: पी. वरुथराज, डी. नं. 1/53, ओथिथोट्टम, मित्रामपल्ली वार्ड-1, मिबनन्मपल्ली डाकघर, नामक्कल जिला-637019.

देसिया जननयागा काची के पंजीयन से अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी आपत्ति है, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर संबंधित कारणों के साथ अपनी आपत्ति सचिव (राजनीतिक दल), भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास भेज सकते हैं।

सुबा कार्तिकेयन, अध्यक्ष
देसिया जननयागा काची

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल **पब्लिक डेमोक्रेसी सिद्धांत** (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय **17, आयुष विहार, सेक्टर–6, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226021** (पूरा पता लिखें) में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रुप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है– पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए है:–

अध्यक्ष : नीलू लोहिया
महासचिव : हर्षवर्धन लोहिया
कोषाध्यक्ष : राज्यवर्धन लोहिया

यदि किसी को **पब्लिक डेमोक्रेसी सिद्धांत** (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचित (राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029)प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **संजय मदान और नीतू मदान** को **31.12.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOD00446182** की राशि **रू.36,16,045.13 /- (रुपए छत्तीस लाख सोलह हजार पैंतालीस और तेरह पैसे मात्र)** और **22.12.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.01.2024** को संपत्ति पर सांकेतिक **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.36,16,045.13 /- (रुपए छत्तीस लाख सोलह हजार पैंतालीस और तेरह पैसे मात्र) 22.12.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.306 के सभी भाग और खंड, सुपर एरिया 930स्के.फीट, तीसरी मंजिल पर, ब्लॉक / टॉवर सीवी8 में, प्लॉट नं.जीएच-01/ए पर कैपटाउन प्रोजेक्ट पर स्थित, सेक्टर -74, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

सही/-
दिनांक :19.01.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नोएडा **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय: सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, 5वाँ तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र–411014
शाखा कार्यालय: तीसरा तल, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8–(1) के तहत (परिशिष्ट–IV)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **मेसर्स बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल)** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **मांग सूचना(एं)** जारी की थी जिसमें कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **मेसर्स बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्वजन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन यहाँ उल्लिखित राशि और इस पर भविष्य की ब्याज के लिए मेसर्स बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) का नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम)	प्रत्यापूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तारीख और राशि	कब्जे की तारीख
शाखा: जयपुर, एलएएन: 419HFW92646959, 419HSL92646305 और 419TSH94692688 **1. दीपक पाटिल (कर्जदार)** **2. विद्या पाटिल (सह–कर्जदार)** **1 और 2 का पता:** फ्लैट नं.–103, प्रथम पता: प्लॉट नं. 12 एस–1, मून हाईट्स भगवान बाहुबली नगर, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान–302012	**निम्न गैर–कृषि संपत्ति के समस्त भाग व खंड:** फ्लैट नं. एस–1, दूसरा तल, पी.नं. 12, मून हाईट्स का वेस्ट पार्ट, भगवान बाहुबली नगर, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान–302012 सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट नं. 12–ए, पश्चिम: प्लॉट नं. 11, उत्तर: रोड 30 फुट, दक्षिण: प्लॉट नं. 13–ए	**22 सितंबर, 2023 और** रु. 25,00,620/– (रुपये पच्चीस लाख छह सौ बीस मात्र)	19 जनवरी, 2024

स्थान: जयपुर दिनांक: 23 जनवरी, 2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय: तीसरा तल, बजाज फिनसर्व, पंचशील टैक पार्क, विमान नगर, पुणे–411014, महाराष्ट्र, भारत
शाखा कार्यालय: 5वाँ तल, मंगलम अम्बिसन टॉवर डी–46–बी, मालन का चौराहा, अग्रसेन सर्कल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8–(1) के तहत (परिशिष्ट–IV)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना(एं) जारी की थी जिसमें कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूंचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।
कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं)/सह कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्वजन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन यहाँ उल्लिखित राशि और इस पर भविष्य की ब्याज के लिए मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) का नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम)	प्रत्यापूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तारीख और राशि	कब्जे की तारीख
शाखा: जयपुर, एलएएन: 419HL78516902, 419CFP27210181, 419CSH27210092, 4190CSH27212019, 419LAP78399002 और H419ECM0432716 **कर्जदार/सह–कर्जदार:** **1. बाल कृष्ण चित्तौड़ा** (कर्जदार), 15 महारानी फार्म महावीर नगर–II, दुर्गापुरा जयपुर–302018 **2. प्रभा चित्तौड़ा,** (सह–कर्जदार), 15 महारानी फार्म महावीर नगर–2, दुर्गापुरा जयपुर–302018 **3. राकेश चित्तौड़ा,** (सह–कर्जदार), 17 महारानी फार्म महावीर नगर–II, दुर्गापुरा जयपुर–302018	**संपत्ति की अनुसूची: 1** निम्न गैर–कृषि संपत्ति के समस्त भाग व खंड: फ्लैट नं. जी2 जीएफ पी नं. 9 पुलन्द्रा जी का बाग, मोती डूंगरी रोड जयपुर–302004 जयपुर राजस्थान–302004। सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट नं. 8, पश्चिम: प्लॉट नं. 10, उत्तर: रोड 30 फुट, दक्षिण: गंगवाल पार्क **संपत्ति की अनुसूची: 2** फ्लैट नं. 502–ए पाँचवां तल, पी. नं. डी–111, राधे विला अपार्टमेंट बानीपार्क जयपुर राजस्थान–302016। सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट नं. डी 146, पश्चिम: पॉवर हाऊस, उत्तर: प्लॉट नं. डी 111–ए, दक्षिण: प्लॉट नं. डी 112	**25 सितंबर, 2023** रु. 1,69,09,238/– (रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख नौ हजार दो सौ अड़तीस मात्र)	20 जनवरी, 2024

स्थान: जयपुर दिनांक: 23 जनवरी, 2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड**

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी–2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 014,
शाखा कार्यालय : 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4),
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1), (परिशिष्ट–IV) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर भावी ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रत्यापूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : दिल्ली **(एलएएन नंबर 401HSLEC671834 तथा 401TSHEE137799)** **1. अनिल कुमार** (कर्जदार) **2. मीनू कुमार** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता :** एच–702, पायनियर पार्क, गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–61, उल्हावास (83) गुरूग्राम, हरियाणा, बादशाहपुर–122001	**निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** सम्पत्ति सं. ई–179 ए पर निर्मित सम्पूर्ण तृतीय तल, निर्मित क्षेत्रफल 78.148 वर्ग मीटर, प्लॉट आकार परिमाप 200 वर्ग मीटर के यथानुपात अविभाजित, अविभाज्य तथा अवियोजनीय अधिकार सहित, ब्लॉक ई, आवासीय कालोनी, सुशांत लोक फेज–।।।, ग्राम टिगरा में और आसपास स्थित, तहसील एवं जिला गुरूग्राम, हरियाणा, पूरब : हुडा भूमि, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नंबर ई–179 बी, दक्षिण : प्लॉट नंबर ई–179 सी	**21–10–2023** रू. 73,84,926/– (रूपए तिहत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ छब्बीस मात्र)	**17–01–2024**
शाखा : दिल्ली **(एलएएन नंबर H401ECN0436820 तथा H581HLP0236707)** **1. राम पाल सिंह** (कर्जदार) **2. राकेशी देवी** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता :** पी–92, गली नंबर 06, शंकर नगर एक्सटेंशन, कृष्ण नगर ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110051	**निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** सम्पत्ति सं. पी–92, क्षेत्रफल परिमाप 55 वर्ग गज, खसरा नंबर 613/184, स्थित आबादी गली नंबर 6, शंकर नगर एक्सटेंशन, क्षेत्र ग्राम घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली, पूरब : 20 फीट गली नंबर 6, पश्चिम : उक्त सम्पत्ति का भाग, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	**21–10–2023** रू. 43,20,273/– (रूपए तेतालीस लाख बीस हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)	**19–01–2024**
शाखा : दिल्ली **(एलएएन नंबर H401HLP0162166)** **1. तेजवीर वर्मा** (कर्जदार) **पता :** मकान नंबर एफ 145, चतुर्थ तल, गफ्फार मार्किट, करोल बाग, दिल्ली–110005 **2. नीलम वर्मा** (सह–कर्जदार) **पता :** एच–134, प्रताप विहार, सेक्टर–12, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 **अन्य पता :** फ्लैट नंबर 2ए, प्रथम तल, बैक साइड पोर्शन, प्लॉट नंबर 170, ब्लॉक जे, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009	**निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** फ्लैट नंबर 2ए, प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, बैक साइड पोर्शन, प्लॉट नंबर 170, ब्लॉक जे, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009, पूरब : प्लॉट नंबर 171, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नंबर 169, दक्षिण : फ्लैट नंबर 2बी	**21–10–2023** रू. 22,54,775/– (रूपए बाईस लाख चौवन हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	**19–01–2024**

तिथि : 23–01–2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर **प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष
"फार्म नं. एनसीएलटी–3ए"
विज्ञापन विवरण याचिका
[नियम 35 देखें]

कम्पनी याचिका सं. सीपी/सीएए/01/एनडी/2024 सम्बद्ध
कम्पनी आवेदन सं. सीए/सीएए/81/एनडी/2023
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के मामले मे
और
निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में

एसपीआर एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
CIN : U70101DL2008PTC179983
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी पंजीकृत कार्यालय जी–112/15, गली नं. 15, केएच नं. 1/77, गंगा विहार के–नगर, नॉर्थ ईस्ट, नई दिल्ली–110094, इंडिया
हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 1/याचिकाकर्ता कम्पनी 1
और

सुपर्ब पॉली टेक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
CIN : U25190DL2009PTC189170
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी पंजीकृत कार्यालय 102 थापर आर्केड, 47 कालूसराय नई दिल्ली–110016, इंडिया
हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2/याचिकाकर्ता कम्पनी 2
और

स्केल एंटरप्राइज़ प्राइवेट लिमिटेड
CIN : U74999DL2016PTC292050
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी पंजीकृत कार्यालय 210, एस–524, दूसरा फ्लोर स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, नई दिल्ली–110092, इंडिया
हस्तांतरिती कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी 3

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत एसपीआर एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी 1), सुपर्ब पॉली टेक कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी 2), स्केल एंटरप्राइज़ प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरिती कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी 3) द्वारा समामेलन की योजना के अनुमोदन के लिए 02 जनवरी, 2024 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि 26.02.2024 निर्धारित की गई है।

कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका/आवेदक/संदर्भ का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो, वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपने आशय की सूचना अपने पूरे नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ याचिका/आवेदक/संदर्भ पर सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास भेंज सकता है। जहां वह याचिका/आवेदक/संदर्भ का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका/आवेदक/संदर्भ की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता/–
दिनांक : 23.01.2024 (अभिषेक नाहटा)
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट
याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि
पता : 902, नई दिल्ली हाऊस, 27 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री मोनी मेहलावत निर्मित संपत्ति नंबर 2ए, 800 वर्ग गज के कुल क्षेत्रफल में से 120 वर्ग गज का क्षेत्रफल, खसरा नंबर 642, 643, वार्ड नंबर 9, किशनगढ़, नई दिल्ली-110070, प्राधिकरण पर्ची के माध्यम से (